निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1942 (श0)

(सं0 पटना 500) पटना, शुक्रवार, 21 अगस्त 2020

वित्त विभाग

अधिसूचना

20 अगस्त 2020

सं०-एम-4-08/2020-4116/वि०—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–**

(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2020 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी ।

2. **बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम–30 के उपनियम–(xxi) के बाद उपनियम–(xxii) के रुप में निम्नलिखित जोड़े जायेगें :–**

''इन नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के रहते हुए राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने राज्य के अधीन किसी देश या देशों या देश–समूहों के बोलीदाताओं/निविदादाताओं से अधिप्राप्ति संबंधित निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक शर्त्त/प्रतिबंध/बंधेज यथा पूर्व निबंधन और/या स्क्रीनिंग सहित अन्य शर्त्त लगाये जाने के संबंध में आवश्यक आदेश/दिशा–निर्देश लिखित रुप से निर्गत कर सकेगी; इस तरह के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर कोई अधिप्राप्ति नहीं की जायेगी।''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल सिंह,

सचिव (व्यय) ।

The 20th August 2020

No.-M-4-08/2020-4116/F. In exercise of the powers conferred under Article 283(2) of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Financial Rules, 1950 (as amended from time to time):-

1. ***Short title, extent and commencement.-***
   (1) These rules may be called The Bihar Financial (Amendment) Rules, 2020
   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come into force at once.

2. The following subrule (xxii) shall be added after the subrule (xxi) of the Rule-30 of the Bihar Finanacial Rules, 1950:-

"Notwithstanding anything contained in these Rules, State Government may, by order in writing, impose restrictions, including prior registration and/or screening, on procurement from bidders from a country or countries, or a class of countries, on ground of defence of India, or matters directly or indirectly related thereto including national security; no procurement shall be made in violation of such restrictions."

By order of the Governor of Bihar,
RAHUL SINGH,
Secretary (Expenditure).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 500-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in